भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3027**
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**जलपाईगुड़ी में जल गुणवत्ता निगरानी और सौर जल परियोजनाएं**

**†3027. डॉ. जयंत कुमार रायः.**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के पास जलपाईगुड़ी डिविजन में जल गुणवत्ता की निगरानी से संबंधित जिलावार आंकड़े हैं और यदि हां, तो फ्लोराइड/आर्सेनिक संदूषण वाली बस्तियों की संख्या दर्शाते हुए उनका ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव जलपाईगुड़ी के दूरदराज के चाय बागान क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से संचालित पेयजल परियोजना स्थापित करने का है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): जी, हाँ।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिवीजन में अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग जिले शामिल हैं। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, जलपाईगुड़ी डिवीजन में फ्लोराइड/आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित ऐसी कोई ग्रामीण बसावटें नहीं है, जहां ग्रामीण आबादी को फ्लोराइड/आर्सेनिक प्रभावित पेयजल का उपभोग करने का जोखिम है।

(ख): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई सौर ऊर्जा से चलने वाली पेयजल परियोजनाओं सहित सभी योजनाओं के लिए पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सौर ऊर्जा से चलने वाली परियोजनाओं सहित उपयुक्त पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं।

*****